ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 195-198
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

ग्रामीण समाज में बुनियादी शिक्षा : एक अध्ययन

डॉ0 पुष्पा मद्धेशिया
असिस्टेंट प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, कमला आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मिर्जापुर (उ0प्र0) भारत

Received-05.02.2023, Revised-11.02.2023, Accepted-16.02.2023 E-mail: pushpaugc11@gmail.com

सारांश: *मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है। प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और वह कुछ स्वयं अर्जित करती है। मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया की सहायता से और हस्तान्तरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान की यह परम्परागत श्रृंखला ही शिक्षा है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु स्तर से ऊँचा उठाया है और श्रेष्ठ सामाजिक–सांस्कृतिक प्राणी बनाया है।*[1]

कुंजीभूत शब्द– आदिकाल, पुरानी पीढ़ी, सामाजिक विरासत, अर्जित, हस्तान्तरण, परम्परागत श्रृंखला, मानसिक, सामाजिक।

शिक्षा आवश्यक ज्ञान और दक्षता प्रदान करती है, जो व्यक्ति को समाज में आदर्श रूप में कार्य करने योग्य बनाती है। शिक्षा वैचारिक मान्यताओं से प्रेरित होती है किन्तु इसका कार्य सांस्कृतिक विरासत हस्तान्तरण अथवा सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों को प्रोत्साहित करने तक ही सीमित नहीं होता अपितु सोद्देश्य उन्मुखता की स्थिति में समाज के पुनर्गठन के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करती है।[2] महात्मा गाँधी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बच्चों के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।[3]

भारत गांवों का देश है। जिस देश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती हो वहाँ ग्रामीण विकास के बिना देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में समुचित विकास से है।[4] इसके लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके द्वारा कम संसाधनों के होने के बावजूद भी उसका अधिकाधिक प्रसार किया जा सके तथा ग्रामीणों में उसके प्रति रूचि उत्पन्न की जा सके। इस दृष्टिकोंण से ग्रामीण शिक्षा का प्रसार उन्हीं शिक्षकों द्वारा होना आवश्यक है जिन्हें ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही विशेष प्रकार की शिक्षा के लिए प्रशिक्षत किया गया हो।[5]

ग्रामीण भारत में शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं के लिए समय–समय पर अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की जाती रही हैं। इनका उद्देश्य ब्रिटिश कालीन शिक्षा से उत्पन्न ग्रामीण विषमताओं के प्रभाव को कम करना तथा ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना था। इस सम्बन्ध में 1937 में महात्मा गांधी ने 'वर्धा योजना' प्रस्तुत की जिसके अन्तर्गत ग्रामीण शिक्षा को नवीन स्वरूप देने का प्रयत्न किया गया।

यह शिक्षा प्रणाली बच्चों के आधारभूत अथवा बुनियादी विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। गांधी जी ने इस शिक्षा प्रणाली को 'बुनियादी शिक्षा' का नाम दिया।[6]

गांधी जी की यह मान्यता थी कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली शैक्षिक क्रांति के साथ–साथ सामाजिक क्रांति का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। यह गांव और शहर के बीच सम्बन्धों को बढ़ावा देगी तथा विभिन्न वर्गों के मध्य भेद–भाव और तनाव को कम करेगी जिससे गांवों का आधारभूत विकास होगा तथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम होगी जिसमें अमीर और गरीब के मध्य अन्तर नहीं होगा बल्कि सभी के लिए जीवन निर्वाह करना सरल होगा।[7]

बुनियादी षिक्षा की अवधारणा– बुनियादी शिक्षा वह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ–साथ शारीरिक विकास को भी महत्व दिया जाता है। यह शिक्षा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि छात्र को शब्द ज्ञान तथा सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ व्यवसायिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए जिससे वह श्रम के महत्व को समझ कर आर्थिक जीवन में आत्मनिर्भर बनने में सफल हो सकें। यह शिक्षा ग्रामोन्मुख शिक्षा है जिसमें कृषि एवं कुटीर उद्योग–धन्धों के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता जाता है। बुनियादी षिक्षा के लिए 7 वर्ष का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया जिससे बच्चा कम अवधि (किशोरावस्था) में ही आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके।[8]

महात्मा गांधी के अनुसार, बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, हिन्दुस्तान के सभी श्रेष्ठ और स्थायी तत्वों के साथ जोड़ देती है। यह तालीम बालक के मन और शरीर दोनों का विकास करती है, बालक को अपने वतन के साथ जोड़ कर रखती है, उसे अपने और देश के भविष्य का गौरवपूर्ण चित्र दिखाती है और उस चित्र में देखे हुए भविष्य के हिन्दुस्तान का निर्माण करने में बालक अपने स्कूल जाने के दिन से ही हाथ बटाने लगें, इसका इंतजाम करती है।[9]

बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त[10]– बुनियादी शिक्षा निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्तों पर विकसित की गई थी –

1. शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धान्त – गांधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

थे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि किसी भी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना उसके अधिकार का हनन हैं और मानवीय कसौटी पर हिंसा है। उन्होंने सर्वप्रथम इस बात पर ही बल दिया कि राज्य को 7 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक षिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।

2. शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धान्त – गांधी जी ने स्कूलों में हस्तशिल्पों की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। उनका मानना था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से स्कूलों का व्यय निकल सकेगा। वर्धा सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था –

"मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि दस्तकारी के जरिये विद्यार्थी जो कुछ पैदा करे, उसकी कीमत से शिक्षक का खर्च निकल सके, क्योंकि मुझे यकीन है कि देश के करोड़ों बच्चों को तालीम देने के लिए इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है।"

3. शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धान्त – गांधी जी ने शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग–धन्धों पर आधारित कर उनके वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल दिया।

4. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धान्त – गांधी जी मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मातृभाषा पर बच्चों का स्वाभाविक अधिकार होता है, उसी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती हे। इसीलिए बुनियादी शिक्षा में अभिव्यक्ति के आधारभूत माध्यम मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना स्वीकार किया गया।

5. शिक्षा को हस्तकौशलों पर केन्द्रित करने का सिद्धान्त – शिक्षा को किसी हस्तकौशल अथवा उद्योग पर केन्द्रित करने के पीछे गांधी जी के कई उद्देश्य थे। पहला यह कि वे बच्चों को शारीरिक श्रम का महत्व बताना चाहते थे। दूसरा कि वे बच्चों को स्वावलम्बी बनाना चाहते थे एवं उन्हें जीविकोपार्जन करने योगय बनाना चाहते थे। तीसरा यह कि वे सबका उदय (सर्वोदय) करना चाहते थे।

चौथा यह कि वे शिक्षा को गांवों के जीवन से जोड़ना चाहते थे और पाँचवा यह कि वे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे अर्थात् स्कूलों में होने वाले उत्पादन से ही स्कूलों का व्यय निकालना चाहते थे।

बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य[11]– बुनियादी षिक्षा के निम्नलिखित उद्देष्य निष्चित किये गये हैं –

1. शारीरिक एवं मानसिक विकास – गांधी जी इस तथ्य से अवगत थे कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल दिया और तद्नुकुल शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण करने पर बल दिया।

2. सर्वोदय समाज की स्थापना – गांधी जी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सब एक–दूसरे से प्रेम करेंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सब एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनेंगे और इस प्रकार सबका उदय (सर्वोदय) होगा।

3. सांस्कृतिक विकास – गांधी जी का मानना था कि यदि किसी स्थिति में पहुँचकर कोई पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया भिन्न हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। इसीलिए उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बुनियादी शिक्षा का विधान किया था।

4. चारित्रिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास – गांधी जी बुनियादी शिक्षा के माध्यम से बच्चों का चारित्रिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना चाहते थे। इसके लिए वे किसी धर्म की शिक्षा दिये जाने के पक्ष में नहीं थे बल्कि वे सर्व धर्म समभाव के द्वारा इसकी प्राप्ति पर बल देते थे।

5. व्यावसायिक विकास – गांधी जी इस सम्बन्ध में दो बात कहे थे– पहली यह कि बच्चों को जो भी हस्तकौशल सिखाएं जाए उनसे स्कूलों में इतना उत्पादन हो कि उसके विक्रय लाभ से स्कूलों का व्यय निकाला जा सके और दूसरी यह कि इन हस्तकौशलों को सीखने के बाद बच्चे अपनी आजीविका कमा सकें।

बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की शिक्षण–विधि[12]– बुनियादी शिक्षा में परम्परागत कथन और पुस्तक प्रणाली के स्थान पर क्रिया प्रधान शिक्षण विधि पर बल दिया गया है। इस शिक्षण विधि की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है :

1. बुनियादी शिक्षा में क्रिया एवं अनुभवों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। बच्चों को प्रकृति का निरीक्षण करने और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दिये जाते है और इस प्रकार उनमें स्वयं अनुभव द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है।
2. बुनियादी शिक्षा में समस्त विषयों एवं क्रियाओं को एक दूसरे से सम्बन्धित करके पढ़ाया जाता है, जिसे सहसम्बन्ध विधि कहते हैं। प्रारम्भ में सहसम्बन्ध का आधार किसी हस्तकौशल या उद्योग को ही रखा गया था लेकिन आगे चलकर

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

प्राकृतिक पर्यावरण अथवा सामाजिक वातावरण को भी उसका आधार बनाया गया। इस विधि में बच्चे वास्तविक परिस्थितियों में, वास्तविक क्रियाओं में भाग लेते हुए वास्तविक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करते हैं।

3. बुनियादी शिक्षा में बच्चों को जीवन की वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से वास्तविक ज्ञान कराया जाता है।
4. बुनियादी शिक्षा में मातृ–भाषा का ज्ञान स्वभाविक रूप से कराया जाता है। पहले मौखिक भाषा (सुनना–बोलना) सिखाई जाती है उसके बाद लिखित भाषा (पढ़ना–लिखना) सिखाई जाती है।
5. बुनियादी शिक्षा में बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर प्रदान किये जाते हैं।

बुनियादी शिक्षा की विषेशताएँ[9]–

बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है –

1. बुनियादी शिक्षा निःशुल्क है क्योंकि इसके व्यय का सम्पूर्ण भार शिक्षण संस्थान अथवा राज्य के द्वारा वहन किया जाता है।
2. बुनियादी शिक्षा का माध्यम मातृ–भाषा निर्धारित की गई है जिससे कि विद्यार्थी सरलता से सभी विचारों को समझ सकें।
3. बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 7 वर्ष का निर्धारित किया गया है जिससे बच्चे किशोरावस्था में ही आत्मनिर्भर बन सके।
4. बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को आर्थिक जीवन से सम्बन्धित ऐसा ज्ञान प्रदान करना है जिससे वे अपने लिए उपयुक्त आजीविका के साधन खोज सकें।
5. बुनियादी शिक्षा वर्गवाद के विरूद्ध है क्योंकि इसके द्वारा श्रमजीवी एवं बुद्धिजीवी के बीच कोई अन्तर विकसित नहीं हो पाता। इसके अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को बुद्धिजीवी होने के साथ ही श्रमजीवी भी बनाने का प्रयत्न किया जाता है।
6. बुनियादी शिक्षा में अस्पृश्यता एवं जाति–भेद का कोई स्थान नहीं है क्योंकि यह सामुदायिक जीवन के स्वस्थ विकास पर बल देती है।
7. बुनियादी शिक्षा मुख्य रूप से दस्तकारी पर केन्द्रित है। इसके अन्तर्गत कताई, बुनाई, कृषि, काष्ठ कला एवं अन्य दस्तकारियों को शिक्षण का माध्यम बनाया गया है। इसी आधार पर इस शिक्षा को सृजनात्मक शिक्षा भी कहा जाता है।
8. बुनियादी शिक्षा में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त श्रमदान, भ्रमण, पर्यटन, प्रदर्शनी एंव समारोहों के आयोजन आदि पर विशेष बल दिया गया है ताकि बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि विकसित किया जा सके।
9. बुनियादी शिक्षा में परीक्षा पद्धति का कोई स्थान नहीं है। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेने पर बालक को स्वयं ही अगले स्तर पर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है।
10. बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण में मानवीय गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों की मनोवृत्तियों एवं उनकी आवश्यकताओं के बीच समुचित समायोजन करने में सहायक सिद्ध होती है।

निष्कर्ष– बुनियादी शिक्षा के सन्दर्भ में गांधी जी का विचार था कि इसका प्रारम्भ गांवों से ही होना चाहिए क्योंकि यह ग्रामीण वातावरण एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल है। इस भावना के अनुरूप बुनियादी शिक्षा को जब ग्रामीण समाज में लागू किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान के द्वारा सड़कों के निर्माण तथा स्वच्छता अभियान के कार्यक्रमों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। लेकिन कुछ समय बाद यह शिक्षा अप्रभावी सिद्ध होने लगी। अनेक विद्वानों का मानना है कि बुनियादी शिक्षा सैद्धान्तिक रूप से अवश्य महत्वपूर्ण है लेकिन इसे व्यावहारिक रूप दे सकना अत्यन्त कठिन है। वास्तव में ग्रामीण जीवन में बुनियादी शिक्षा की अल्प सफलता का मुख्य कारण यह था कि प्रशिक्षण काल में छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएँ न तो उत्तम कोटि की होती थीं और न ही बाजार में उनका विक्रय संभव हो सका। फलस्वरूप ग्रामीणों में धीरे–धीरे इसके प्रति उदासीनता विकसित होने लगी। वे यह भी मानने लगे कि बुनियादी शिक्षा ग्रहण करके वे आधुनिकता की दौड़ में पीछे रह जायेंगे। फिर भी नगरों की उद्देश्यहीन शिक्षा तथा दिन–प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए अब अनेक नियोजनकर्ता यह अनुभव करने लगे है कि बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को मानते हुए इसकी संरचना में कुछ सुधार करके ग्रामीण जीवन के लिए इसे अधिक उपयुक्त बनाया जा सकता है।

वर्तमान समय में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की यही प्रासंगिकता है कि आज की शिक्षा–पद्धति, जो 'मैकाले–दर्शन' पर आधारित है, शिक्षित नवयुवकों का एक ऐसा वर्ग पैदा कर रही है जो किसी शारीरिक श्रम को नहीं कर सकते, वे मात्र नौकरी प्राप्त करने के लिए सरकार पर निर्भर हैं। इसमें दोष इन नवयुवकों का नहीं है वरन् हमारी शिक्षा–नीति का है जो उन्हें किसी भी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं देती है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में बच्चे अक्षर ज्ञान से पहले दस्तकारी सीखेंगे, ताकि बड़े होकर स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें, न कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

के पश्चात् भी वे इस योग्य न हो कि स्वयं अपना एवं परिवार का भरण–पोषण न कर सके। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा शिल्प पर आधारित थी जिसे वे सामाजिक परिवर्तन का एक महान उपकरण मानते थे। वर्तमान समय में बेरोजगारी जिस तीव्र गति से बढ़ रही है और समाज में मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उसे देखते हुए गांधी जी द्वारा प्रतिवादित बुनियादी शिक्षा प्रणाली ही श्रेष्ठ प्रतीत होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एम0एल0 तथा शर्मा, डी0डी0, समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं का परिचय, पृ0 152.
2. सिंह, जे0पी0, समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त, पृ0 518.
3. गांधी, एम0के0, हरिजन, 1937.
4. अग्रवाल, जी0के0 तथा पाण्डेय, एस0एस0, ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ0 257.
5. वही, पृ0 261.
6. वही, पृ0 261.
7. षर्मा, बी0एम0, शर्मा, रामकृष्ण दत्त तथा शर्मा, सविता, गांधी दर्शन के विविध आयाम, पृ0 224.
8. अग्रवाल, जी0के0 तथा पाण्डेय, एस0एस0, ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ0 261.
9. गांधी, मोहनदास करमचन्द, मेरे सपनों का भारत, पृ0 173.
10. लाल, रमन बिहारी, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, पृ0 352 तथा शुक्ला, सी0एस0, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, पृ0 292.
11. लाल, रमन बिहारी, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, पृ0 353.
12. वही, पृ0 354–55.
13. अग्रवाल, जी0के0 तथा पाण्डेय, एस0एस0, ग्रामीण समाजशास्त्र, पृ0 262.

*****